11-3-26	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वाद-पत्र वादीगण निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार परवाना डिक्री जारी हो। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले इजलास सुनाया गया।	GCMS 2020/00275

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.12 19:46:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

बइजलाश:-श्रीमान भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस

दायरा दिनांक 02.09.2020

प्रकरण सं0:-128/2020 GCMS:-2020/00275

1. रामलाल पुत्र चेतराम जाति कुम्हार निवासी श्री गंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज0।
2. मनफूल पुत्र चेतराम जाति कुम्हार निवासी श्री गंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज0।
3. गंगाराम पुत्र अनूराम जाति कुम्हार निवासी चक 3 डब्लयु फरीदसर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर राज0।
4. भागीरथ पुत्र अनूराम जाति कुम्हार निवासी चक 3 डब्लयु फरीदसर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर राज0।
5. गोपीराम पुत्र अनूराम जाति कुम्हार निवासी चक 22 एलजीडब्लयु तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।
6. देवीलाल पुत्र अनूराम जाति कुम्हार निवासी चक 3 डब्लयु फरीदसर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर राज0।
7. जयचन्द पुत्र अनूराम जाति कुम्हार निवासी चक 3 डब्लयु फरीदसर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर राज0।
8. इन्द्रा पुत्री अनुराम पत्नी गोपीराम जाति कुम्हार निवासी लाभूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज0।

............वादीगण

बनाम

1. लिखमाराम (फौत) पुत्र चतरूराम

1/1 ओमप्रकाश पुत्र लिखमाराम जाति कुम्हार निवासी चक 22 एलजीडब्लयु तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।

1/2 डूंगरराम पुत्र लिखमाराम जाति कुम्हार निवासी नजदीक बी.एस.एन.एल. टॉवर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।

1/3 पूर्णराम पुत्र लिखमाराम जाति कुम्हार निवासी गली नं0 02 पूजा कॉलोनी श्रीगंगानगर राज0।

1/4 देवीलाल पुत्र लिखमाराम जाति कुम्हार निवासी घोटेवाला मंदिर के पास नेहरा नगर श्रीगंगानगर राज0।

1/5 सुन्दर देवी पुत्री लिखमाराम पत्नी संतराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं0 06 चक 23 एमएल पो. ओ.9 एमएल लढावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज0।

2. अर्जनराम पुत्र चेतराम जाति कुम्हार निवासी श्रीगंगानगर राज0।
3. सरदाराराम पुत्र चेतराम जाति कुम्हार निवासी श्रीगंगानगर राज0।
4. रामचन्द (फौत) पुत्र चेतराम

4/1 धापा देवी पत्नी रामचन्द जाति कुम्हार निवासी चक 2 एमएलडीए पुरानी मंडी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर राज0।

4/2 रमेश कुमार पुत्र रामचन्द जाति कुम्हार निवासी चक 2 एमएलडीए पुरानी मंडी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर राज0।

4/3 ममता पुत्री रामचन्द जाति [illegible] रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर राज0।

4/4 उर्मिला पुत्री रामचन्द पत्नी [illegible] निवासी चक 39 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज0।

4/5 कैलाश पुत्री रामचन्द पत्नी रामस्वरूप जाति कुम्हार निवासी रामपुरा न्योला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।

..........लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.12 19:46:09 IST
Reason: SelfAttested

4/6 कृष्णा पुत्री रामचन्द पत्नी रामनारायण जाति कुम्हार निवासी रामपुरा न्योला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।

5. मु0 रामप्यारी पुत्री चेतराम पत्नी काशीराम जाति कुम्हार निवासी श्रीगंगानगर राज0।

6. गोरा (फौत) पुत्री चेतराम पत्नी ठाकरराम

6/1 लिछमा पुत्री सुरजीत पुत्री गोरा जाति कुम्हार निवासी लालगढ जाटान तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर राज0।

6/2 कालूराम पुत्र गोरा जाति कुम्हार निवासी चक 6 केएसटी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0।

6/3 किशन पुत्र गोरा जाति कुम्हार निवासी चक 6 केएसटी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0।

6/4 राधा पुत्री गोरा जाति कुम्हार निवासी पालीवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।

7. मु0 तुलछी पुत्री चेतराम पत्नी हीरालाल जाति कुम्हार निवासी घड़साना तहसील घड़साना।

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ। ...प्रतिवादीगण

उपस्थितिः—

1. श्री सर्बजीत छाबड़ा, अभिभाषक वादीगण
2. श्री राकेश सारस्वत, अभिभाषक प्रति0 नं0 1/1 से 1/5
3. श्री रामस्वरूप बारूपाल, अभिभाषक प्रति0 नं0 4/1 से 4/6
4. श्री भगवानदत्त शर्मा, अभिभाषक प्रति0 नं0 3, 5, 6
5. श्रीमान तहसीलदार सूरतगढ स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 11-03-2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण रामलाल व मनफूल पि0 चेतराम जाति कुम्हार निवासी चक 22 एलजीडब्ल्यु हाल श्रीगंगानगर द्वारा एक वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके चक 22 एलजीडब्ल्यु प0न0 42/291 कि0न0 21 ता 23, प0न0 43/291 कि0न0 24, 25, प0न0 43/292 कि0न0 4 ता 7, प0न0 42/292 कि0न0 1 ता 3, 8 ता 10 कुल तादादी 15—00 बीघा खातेदारी भूमि में पिता के नाम की 1/3 हिस्सा यानि 5—00 बीघा वादीगण प्रत्येक को 1/8 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित कराने बाबत पेश किया। इसके साथ निवेदन किया कि उक्त भूमि चेतराम, अनुराम व लिखमाराम पुत्र चतरूराम को दिनांक 8.12.1958 को आंवटन हुई जिसकी खातेदारी सनद दिनांक 15.11.1978 श्रीमान जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर द्वारा प्रदान की गई। प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम द्वारा सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी बीकानेर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर व सरपंच से प्रमाण पत्र प्राप्त कर ए.एस.ओ साहब को धोखे में रखकर अनुराम व चेतराम दोनो को अविवाहित दिखाकर एवं स्वयं को उनका एकमात्र वारिस दर्शित कर वादाधीन भूमि तमाम अकेले के नाम से दर्ज करवा ली। जबकि वरवक्त सैटलमैन्ट वादीगण के पिता चेतराम जीवित थे। उनकी मृत्यु दिनांक 29.03.1980 को श्रीगंगानगर में हुई। जो कि नगर परिषद श्रीगंगानगर द्वारा जारी प्रमाण पत्र से साबित हैं। इसके अलावा मृतक चेतराम के जायज वारिसान में अर्जन, मनफूल, रामचंद, रामलाल, रामप्यारी, गौरां व तुलछी कुल सात जायज [illegible] इसी तरह मृतक अनुराम के जायज वारिस सजना (पत्नी) गंगाराम, गोपीराम [illegible] कुल सात वारिस थे। इन तमाम वारिस के होते हुये लिखमाराम द्वारा गलत [illegible] करवाकर भूप्रबन्ध विभाग से भूमि हड़पने की नियत से आदेश हासिल किया जि[illegible] से 44 में लिखमाराम को नाम अंकित है।

.........लगातार 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.12 19:46:09 IST
Reason: SelfAttested

आगे निवेदन किया कि भूप्रबन्ध विभाग को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व रिकार्ड में किसी तरह का परिवर्तन करने का अधिकार नही था, उक्त भूमि संयुक्त खाता में आंवटन हुई थी। खातेदारी सनद भी संयुक्त खाता में दी गई। आराजी जैर भूमि में चेतराम का 1/3 हिस्सा, अनुराम का 1/3 हिस्सा व लिखमाराम का 1/3 हिस्सा बनता हैं। वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 ता 14 जो कि मृतक चेतराम व अनुराम के वारिस हैं। उक्त अपने–2 हिस्सा की भूमि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जमाबंदी सम्वत् 2035 से 2044 में प्रतिवादी नं0 1 का नाम अंकित हो जाने के पश्चात् जैसे ही वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 ता 14 को इल्म हुआ तो प्रतिवादी नं0 1 से राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 2 ता 14 का नाम अंकित करवाये जाने हेतु बिरादरी की पंचायत चक 22 एलजीडब्लयु में कहां तो दिनांक 29.04.1984 को इंकार हो गया। इसलिये वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत किया गया।

वादपत्र पेश होने पर रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी नं0 1 द्वारा हाजिर आकर दिनांक 05.11.984 को जबाबदावा पेश किया गया। जबाबदावा पेश कर संयुक्त आंवटन को अस्वीकार किया गया। एवं दिनांक 02.01.1985 को प्रतिवादी नं0 2 ता 14 के अभिभाषक द्वारा लिखित कथन पेश नही करने की सहमति के कारण प्रतिवादी नं0 2 ता 14 का लिखित कथन पेश करने का अवसर बंद किया गया। दिनांक 01.07.1985 को वादीगण का वादपत्र साक्ष्यवादी के अभाव में निरस्त कर दिया गया। वादपत्र में संशोधन हेतु एक प्रार्थना पत्र अदालतहाजा में पेश किया जो की अदालत हाजा द्वारा खारीज कर दिया गया जिसके खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी दायर करने पर निगरानी दिनांक 17.06.1994 को स्वीकार की गई। तत्पश्चात् पत्रावली रिमाण्ड किये जाने पर संशोधित वादपत्र पेश किया गया। जिसका विरोध प्रतिवादी नं0 1 द्वारा दिनांक 21.07.1997 को लिखित कथन पेश कर किया। दिनांक 19.06.1997 को प्रतिवादी नं0 8 ता 14 का प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 एवं 151 सीपीसी स्वीकार करने एवं प्रतिवादी नं0 1 द्वारा प्रतिवादी नं0 8 ता 14 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा पर आपत्ति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.11.1997 को निरस्त किये जाने के कारण दोनो निर्णयो के खिलाफ निरागनी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष दायर करने पर पत्रावली दिनांक 10.02.1998 को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर को भेज दी गई। दिनांक 24.07.2013 को पत्रावली पुनः अदालतहाजा में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय उपरान्त दर्ज की गई। प्रतिवादी नं0 8 ता 14 को बतौर वादी दर्ज कर दिनांक 16.06.2015 को संशोधित वादपत्र पेश किया गया। जिसका खण्डन प्रतिवादी नं0 1 द्वारा दिनांक 15.01.2016 को जबाबदावा पेश कर किया गया। प्रतिवादी नं0 2 ता 7 द्वारा दिनांक 18.03.2016 को जबाबदावा पेश किया गया। जो शामिल मिसल हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र एवं जबाबदावा के आधार पर दिनांक 30.03.2016 को 11 तनकीयात निम्नानुसार कायम की गई:–

1. आया विवादित भूमि चक 22 एलजीडब्लयु म0नं0 42/291 की 3 बीघा, म0नं0 43/291 की 2 बीघा, म0नं0 43/292 की 4 बीघा, म0नं0 42/292 की 6 बीघा कुल 15 बीघा वादीगण के पूर्वज चेतराम, अनुराम पुत्रगण श्री रामरख एवं लिखमाराम पुत्र श्री चतरूराम कुम्हार के नाम से सयुक्त खाता में बहिस्साबराबर सक्षम अधिकारी के द्वारा कीमतन पुख्ता आवटन हुई थी? ....वादीगण
2. आया विवादित भूमि कीमतन पुख्ता आंवटन के पश्चात् वादीगण के पूर्वजों को संयुक्त रूप से विवादित भूमि का कब्जा दिया गया और मृत्युपर्यन्त संयुक्त रूप से काश्त करते रहे हैं? ....वादीगण
3. आया वादीगण के पूर्वजों ने विवादित भूमि कीमतन पुख्ता आंवटन के पश्चात् किश्तो की राशि संयुक्त रूप से खजाना राज में जमा कर[illegible] ....वादीगण
4. आया वादीगण के पूर्वजो को विवादित भमि से प्रति[illegible] लिखमाराम ने बलपूर्वक नाजायज तरीके से बेदखल कर समस्त भूमि पर [illegible] विभाग से मिलकर सारी भूमि स्वयं के नाम दर्ज करवाली? ....वादीगण
5. आया वादीगण के पूर्वजों ने मृत्यु[illegible] विभाग से समस्त भूमि प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम द्वारा अपने नाम दर्ज करवाने के पश्चात् कोई कानूनी चाराजोही की ? ....वादीगण

——लगातार 4 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.12 19:46:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

6. आया वादीगण स्वर्गीय अनुराम व स्वर्गीय चेतराम के जायज वारिस होने के कारण विवादित भूमि में 2/3 हिस्सा भूमि पाने के हकदार है एवं प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम को बेदखल कर कब्जा पाने के हकदार है?

...........वादीगण

7. आया विवादित पुख्ता आंवटित भूमि का कब्जा अकेले प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम को सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया । अकेला प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम समस्त किश्त राशि खजाना राज में जमा करवाई?

......प्रतिवादी नं0 1

8. आया विवादित भूमि पर अकेले प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम का कब्जा सन् 1975 में भूप्रबन्ध विभाग द्वारा सर्वे में देखकर अकेले किश्त की राशि जमा रसीदे देखकर उक्त भूमि की जमाबन्दी प्रतिवादी नं0 1 के नाम बनाई जिसे वादीगण के पूर्वजों ने अपने जीवनकाल में किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी?

..........प्रतिवादी नं0 1

9. आया विवादित भूमि पर पुख्ता आंवटन से लेकर आज तक प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम का सतत शान्ति पूर्वक कब्जा चला आ रहा है। वादीगण व उनके पूर्वजों को कभी भी उक्त भूमि पर अंशमात्र भी कब्जा नही रहा। अतः पुख्ता आंवटन से लेकर कब्जा नही होने के कारण वादीगण कोई घोषणात्मक एवं बेदखली की डिक्री पाने के हकदार नही है? ....प्रतिवादी नं0 1

10. आया वादीगण का वाद कब्जा न होने के कारण एवं मियाद बाहर होने के कारण चलने योग्य नही है?

..........प्रतिवादी नं0 1

11. आया वादीगण 3 से 8 तक एवं प्रतिवादीगण 2 से 7 तक सभी स्वेच्छा से अपने भूमि मापक के माध्यम से दिंनाक 2.1.1985 को अपना हक व हिस्सा क्लेम छोड चुके है। अतः अब संशोधित वादपत्र के माध्यम से कोई घोषणात्मक एवं बेदखली की डिक्री पाने के हकदार नही है? ....प्रतिवादी नं0 1

12. अनुतोष

तनकी नं0 1 ता 6 को साबित करने का भार वादीगण पर था एवं तनकी नं0 7 ता 11 को साबित करने का भार प्रतिवादी नं0 1 पर था। तनकी कायम होने पर वादीगण रामलाल व गोपीराम एवं वादीगण के तरफ से मन्दरसिंह पुत्र गुरचरण सिंह PW-1, मोहनसिंह पुत्र बुटासिंह PW-2, रूड़ सिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह PW-3, मनफूल पुत्र चेतराम PW-4 के ब्यान शामिल किये गये एवं प्रतिवादी नं0 1 की ओर से ओमप्रकाश बतौर Next Friend एवं सुखराम पुत्र श्योचन्द DW-1, मनफूलराम पुत्र केसराराम DW-2, जगतारसिंह पुत्र नाजरसिंह DW-3 के ब्यान शामिल किये गये। दोनो पक्षो की बहस सुनने के बाद अदालत हाजा द्वारा वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर निर्णय दिनांक 10.09.2018 द्वारा वादीगण के पक्ष में डिक्री जारी कर दी गई। उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.09.2018 से व्यथित होकर प्रतिवादी नं0 1 द्वारा अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश जो कि दिनांक 02.09.2019 को स्वीकार कर अदालतहाजा को प्रतिप्रेषित किया कि दावा एवं जवाबदावा के आधार पर कायम तनकियात का साक्ष्य के आधार पर प्रत्येक तनकी पर निर्णय पारित किया जावें।

पत्रावली माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्देशानुसार पत्रावली अदालतहाजा में दिनांक 02.09.2020 को प्रकरण सं0 1[illegible] वर्ष 2020 पर [illegible] के हाजिर आने पर बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपने वादपत्र के कथनो को [illegible] निवेदन किया कि वादीगण रामलाल व मनफूल पि0 चेतराम जाति कुम्हार निवासी [illegible] 22 [illegible] श्रीगंगानगर द्वारा एक वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके चक 22 [illegible] 21 ता 23, प0न0 43/291 कि0न0 24, 25, प0न0 43/292 कि0न0 [illegible] कि0न0 1 ता 3, 8 ता 10 कुल तादादी 15–00 बीघा खातेदारी भूमि में पिता के नाम की 1/3 हिस्सा यानि 5–00 बीघा वादीगण प्रत्येक को 1/6 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित कराने बाबत पेश किया।

..........लगातार 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.12 19:46:09 IST
Reason: SelfAttested

इसके साथ निवेदन किया कि उक्त भूमि चेतराम, अनुराम व लिखमाराम पुत्र चतरूराम को दिनांक 8.12.1958 को आंवटन हुई जिसकी खातेदारी सनद दिनांक 15.11.1978 श्रीमान जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर द्वारा प्रदान की गई। वादीगण के पिता चेतराम व अनुराम का उक्त भूमि में 2/3 हिस्सा ब0हि0ब0 बनता है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व खातेदारी सनद व आंवटन आदेश से भी साबित हैं। वादीगण का अपने पिता एवं प्रतिवादी नं0 1 के हिस्सा के मुताबिक बंटवारनामा दिनांक 15.12.1980 को किया गया था। उक्त बंटवारनामा अनुसार प्रतिवादी नं0 1 को उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा बनता हैं। प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम द्वारा सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी बीकानेर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर व सरपंच से प्रमाण पत्र प्राप्त कर ए.एस.ओ साहब को धोखे में रखकर अनुराम व चेतराम दोनो को अविवाहित दिखाकर एवं स्वयं को उनका एकमात्र वारिस दर्शित कर वादाधीन भूमि तमाम अकेले के नाम से दर्ज करवा ली। जबकि वरवक्त सैटलमैन्ट वादीगण के पिता चेतराम जीवित थे। उनकी मृत्यु दिनांक 29.03.1980 को श्रीगंगानगर में हुई। जो कि नगर परिषद श्रीगंगानगर द्वारा जारी प्रमाण पत्र से साबित हैं। इसके अलावा मृतक चेतराम के जायज वारिसान में अर्जन, मनफूल, रामचंद, रामलाल, रामप्यारी, गौरां व तुलछी कुल सात जायज वारिस थे, इसी तरह मृतक अनुराम के जायज वारिस सजना (पत्नी) गंगाराम, गोपीराम भागीरथ देवीलाल, जयचंद व इन्द्रा कुल सात वारिस थे। इन तमाम वारिस के होते हुये लिखमाराम द्वारा गलत प्रमाण पत्र पंचायत से जारी करवाकर भूप्रबन्ध विभाग से भूमि हड़पने की नियत से आदेश हासिल किया जिसके परिणाम स्वरूप जमाबंदी सम्वत् 2035 से 44 में लिखमाराम को नाम अंकित है।

आगे निवेदन किया कि भूप्रबन्ध विभाग को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व रिकार्ड में किसी तरह का परिवर्तन करने का अधिकार नही था, उक्त भूमि संयुक्त खाता में आंवटन हुई थी। खातेदारी सनद भी संयुक्त खाता में दी गई। आराजी जैर भूमि में चेतराम का 1/3 हिस्सा, अनुराम का 1/3 हिस्सा व लिखमाराम का 1/3 हिस्सा बनता हैं। वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 ता 14 जो कि मृतक चेतराम व अनुराम के वारिस हैं। उक्त अपने–2 हिस्सा की भूमि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जमाबंदी सम्वत् 2035 से 2044 में प्रतिवादी नं0 1 का नाम अंकित हो जाने के पश्चात् जैसे ही वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 ता 14 को इल्म हुआ तो प्रतिवादी नं0 1 से राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 2 ता 14 का नाम अंकित करवाये जाने हेतु बिरादरी की पंचायत चक 22 एलजीडब्लयु में कहां तो दिनांक 29.04.1984 को इंकार हो गया। तब दिनांक 13.03.1987 को प्रतिवादी नं0 1 बलपूर्वक जैर वाद रकबा में प्रवेश कर लिया एवं वादीगण द्वारा कब्जा छोड़ने हेतु कहां तो प्रतिवादी नं0 1 स्पष्ट इंकार हो गया जिस कारण से प्रार्थना पत्र संशोधन बाबत खाता विभाजन व बेदखली हेतु पेश किया जो कि खारीज किये जाने पर माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी दायर की गई जे कि दिनांक 17.06.1994 का स्वीकार की गई एवं पत्रावली रिमाण्ड होने पर संशोधित वादपत्र पेश किया गया।

यह कि दौराने वादपत्र व प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया जो कि स्वीकार करते हुये 1/3 हिस्सा की भूमि रिसीवर नियुक्ती के आदेश पारीत किये गये। जिसके खिलाफ प्रतिवादी नं0 1 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष दायर की गई जिसें आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये आदेश पारीत किया गया कि वादीगण के पिता चेतराम के हिस्सा की भूमि की बाबत नगद प्रतिभूति प्रतिवादी नं0 1 अदालत में ... रिसीवर नियुक्त का आदेश निरस्त किया जावें। उक्त आदेश दिनांक 17.06.1994 को जारी ... उक्त आदेश से स्पष्ट हैं कि वादीगण का उक्त भूमि में टाईटल माना गया ... लिखमाराम को खातेदार कृषक माना गया हैं उक्त जमाबंदी भूप्रबन्ध विभाग ... है जो कि विवादास्पद हैं। क्षैत्राधिकार से बाहर हैं। इसलिये घोषणात्मक बाद ... वादीगण उक्त जमाबंदी को निरस्त करवाकर अपना नाम अंकित करवाने के हकदार हैं एवं खाता विभाजन की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी नं0 1 को खाता विभाजन में प्राप्त भूमि से बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः वादपत्र वादीगण स्वीकार योग्य हैं। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में लिखित बहस भी प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है।

..........लगातार 6 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.12 19:46:09 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रतिवादी नं0 1 द्वारा अपने जबाबदावा के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादीगण ने वादपत्र के चतुर्थ चरण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रतिवादी लिखमाराम ने सन् 1975 में दिनांक 10.06.1975 को भू-प्रबन्धक विभाग के कर्मचारीगण से मिलकर झुठा शपथ पत्र देकर सारी भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 2 ता 7 के पिता श्री चेतराम की मृत्यु 29.03.1980 को श्रीगंगानगर में देहान्त दर्शित किया है। स्वर्गीय श्री चेतराम ने सन् 1975 से सन् 1980 तक भू-प्रबन्धक विभाग द्वारा स्वीकृत इन्तकाल दिंनाक 10.06.1975 के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नही की। राजीनामा दिंनाक 15.12.1980 जबरदस्ती बलपूर्वक के खिलाफ मुकदमा थाना पीलीबंगा में एसडीओ हनुमानगढ के आदेश से दर्ज करवाया। सारी 15 बीघा पर अकेले लिखमाराम का कब्जा दर्शित किया। पानी की पर्चीया व किश्त की रसीदे पेश की। इस प्रकार लिखमाराम ने विवादित भूमि आवंटन 1958 से लेकर सन् 1980 तक का कब्जा सिचाई सुविधा एवं किश्त की रकम जमा करवाने का दस्तावेजी प्रमाण पत्र पेश किया है। वादीगण के वादपत्र दिनाक 07.05.1984 के तृतीय चरण में राजीनामा की तारीख 15.12.1980 दर्ज की है। उक्त राजीनामा के आधार पर अपना कब्जा दर्शित किया है। जबकि चेतराम की मृत्यु 29.03.1980 से पूर्व वादीगण का विवादित भूमि के किसी भी हिस्से पर कब्जा दर्ज नही था। राजीनामा दिंनाक 15.12.1980 पर भी मुकदमा दर्ज होने के कारण वादीगण को विवादित भूमि पर कब्जा नही मिला। इस प्रकार लिखमाराम का सन् 1958 से सतत् कब्जा विवादित भूमि पर चला आ रहा हैं एवं आज भी है। वादीगण ने वादपत्र दिंनाक 07.05.1984 के छठे चरण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उक्त 15 बीघा का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम के नाम भू प्रबन्धक विभाग के कर्मचारियों से साजिश करके दर्ज किया जा चुका है। इससे साफ जाहिर है कि दावा दायर करने के दिन 07.05.1984 से पूर्व 15.12.1980 के मध्य चार वर्ष तक वादीगण ने विवादित भूमि की कोई किश्त की रकम, पानी की पर्ची, गिरदावरी आदि विवादित भूमि से सम्बधित कोई कानूनी दस्तावेज के प्रति अपनी रूचि अथवा जागरूकता जाहिर नही की। स्पष्ट प्रमाणित है कि सन् 1958 से सन् 1980 तक तथ्य दावा दायर करने के दिंनाक 07.05.1984 तक वादीगण उनके पूर्वज अपने अधिकारों के प्रति सुश्त लापरवाह रहे है। सन् 1958 से सन् 1984 तक करीब 26 वर्ष तक वादीगण व उनके पूर्वज सुश्त रहे है। अतः प्रतिवादी नं0 1 ने भारतीय मियाद अधिनियम 1963 सहपठित धारा 214 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत वादीगण का वादपत्र मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है, को खारिज किये जाने की याचना की। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दिंनाक 07.05.1984 के प्रत्युतर में प्रतिवादीगण 2 ता 14 ने कोई जवाबदावा प्रस्तुत नही किया। न्यायालय द्वारा दिंनाक 2.01.1985 को सभी प्रतिवादीगण 2 ता 14 का जवाबदावा बन्द कर दिया गया। जिसमें से प्रतिवादी नं0 2 ता 7 का जवाबदावा आज बहस के दिन तक बन्द है। अर्थात प्रतिवादी नं0 2 ता 7 ने विवादित 15 बीघा में किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा का अधिकार नही माना है। स्वर्गीय चेतराम के केवल दो लड़के रामलाल व मनफुल (वादीगण) ने ही अपने अपने हिस्से की 1/8-1/8 हिस्सा भूमि के लिये घोषणात्मक वाद दिंनाक 07.05.1984 को पेश किया था और आज बहस के दिन तक 15 बीघा भूमि मे से वादीगण रामलाल, मनफुल का वादपत्र क्रमश 0.12-0.12 बिस्वा भूमि की बाबत ही कानून माना जायेगा। वादीगण ने दिंनाक 07.5.1984 के बाद पत्र को दिंनाक 04.12.1996 को संशोधित कर सशोधित वाद प[illegible] राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिंनाक 17.06.1994 के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया [illegible] सशोधित वादपत्र के चतुर्थ चरण में स्वीकार किया कि दिंनाक 15.11.1978 को [illegible] पुत्र श्री चतरूराम 1/3 हिस्सा, चेतराम, अनुराम पुत्रगण रामरख 2/3 [illegible] है। चेतराम की मत्यु 29.03.1980 को श्री गंगानगर में हुई। अनुराम की मृत्यु [illegible] की मृत्यु से पूर्व सन् 1978 में खातेदारी सनद जारी होने के पश्चात् भी चेतराम व अनुराम ने विवादित [illegible] पर कब्जा बाबत कोई कानूनी कार्यवाही किसी भी न्यायालय में नही की। सन् 1958 से लेकर सन् 1980 तक मत्युपर्यन्त स्वर्गीय चेतराम व अनुराम का विवादित भूमि पर कभी कब्जा नही रहा। कोई किश्त जमा नही करवाई। कभी भी कब्जा लेने की चेष्टा या कानूनी चाराजोही नही की।

..........लगातार 7 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.12 19:46:09 IST
Reason: SelfAttested

सन् 1958 से सन् 1980 तक 22 वर्ष तक स्वर्गीय चेतराम व स्वर्गीय अनुराम ने चक 22 एलजीडब्ल्यु ग्राम ढाबा में रिहायश भी नही की। अतः सवर्गीय चेतराम व स्वर्गीय अनुराम के अधिकार धारा 63 आरटीए एवं भारतीय मियाद अधिनियम के तहत 1980 से ही पूर्व समाप्त हो चके थे। अतः उनके वारिस वादीगण एवं प्रतिवादीगण 2 ता 14 विवादित भूमि पर कोई हक व हिस्सा पाने के अधिकारी नही है। वादीगण द्वारा संशोधित वादपत्र दिंनाक 04.12.1996 प्रस्तुत करने के पश्चात् भी प्रतिवादी नं0 2 ता 14 ने कोई जवाबदावा अथवा Counter claim नही किया। इससे साफ जाहिर है कि प्रतिवादी नं0 2 से 14 तक सभी विवादित भूमि में अपना कोई हिस्सा व हक न होना स्वीकार कर चके है। वादीगण संशोधित वादपत्र दिंनाक 4.12.1996 के दसवें चरण में स्वीकार किया कि प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम ने दिंनाक 13.03.1987 को सारी भूमि पर कब्जा कर लिया। प्रतिवादी नं0 2 ता 14 ने इसके बावजूद भी कोई हक व हिस्सा के लिये विवादित भूमि के लिये किसी कानूनी कार्यवाही के माध्यम से कोई कार्यवाही कभी नही की। स्वयं वादीगण ने भी सन् 1987 में बेदखल होने पर कोई एफआईआर प्रतिवादी नं 1 के खिलाफ किसी भी पुलिस थाना में दर्ज नही करवाई। वादीगण ने राजस्व न्यायालय में भी सन् 1987 में विवादित भूमि से बेदखल होने की स्थिति में कोई कानूनी कार्यवाही नही की। इससे साफ जाहिर है कि वादीगण का भी 1/3 में से 1/8 1/8 हिस्सा पर कभी भी कब्जा नही था। वादीगण ने संशोधित वादपत्र के सातवें चरण में एवं अनुतोष में जमाबन्दी सम्वत् 2035 से 2044 प्रतिवादी नं0 1 के नाम दर्ज होने का तथ्य स्वीकार किया। संशोधित वादपत्र दिंनाक 4.12.1996 के 11 वें चरण में स्वीकार किया है कि प्रतिवादी नं0 1 विवादित भूमि में ढाणी बना रहा है। वादीगण ने उक्त ढाणी के निर्माण को रोकने हेतु राजस्व न्यायालय में कोई कानूनी चाराजोही नही की। प्रतिवादी नं0 2 ता 14 ने भी कोई कार्यवाही नही की। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रतिवादी नं0 1 का सन् 1958 से विवादित भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। वादीगण का कोई कब्जा नही है। सशोधित वादपत्र के अनुतोष (घ) चरण में कब्जा भी लेने की याचना की है। धारा 183 आरटीए के तहत दावा पेश किया। जो सन् 1958 से 39 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है। दावा मियाद बाहर है। वादीगण ने दिंनाक 30.4.1997 को उक्त वादपत्र में पुनः संशोधन किया। धारा 183 आरटीए का अनुतोष दर्ज किया। जो सन् 1958 से 39 वर्ष बाद सन् 1997 में धारा 183 आरटीए का दावा किया गया है। सन् 1975 के राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज से 22 वर्ष बाद धारा 183 आरटीए का दावा प्रस्तुत किया गया है। सन् 1980 के बंटवारा नामा से 17 वर्ष बाद धारा 183 आरटीए का वाद प्रस्तुत किया गया हैं। सन् 1984 के प्रथम वादपत्र से भी 13 वर्ष बाद धारा 183 आरटीए का वाद प्रस्तुत किया गया है। किसी भी दृष्टिकोण से देखा जावें तो वादीगण का धारा 183 आरटीए के अनुतोष के साथ संशोधित वादपत्र दिंनाक 4.12.1996 एवं 30.4.1997 दोनों ही मियाद बाहर प्रस्तुत किये गये है। जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर होने के कारण खारिज योग्य हैं। वादीगण का दिंनाक 07.05.1984 का प्रथम वाद केवल धारा 88 आरटीए के तहत प्रस्तुत था। प्रथम संशोधित वादपत्र दिंनाक 4.12.1996 धारा 88–53–209 आरटीए के तहत प्रस्तुत किया गया। दुसरा सशोधित वादपत्र दिनाक 30.4.1997 को धारा 88–183 आरटीए के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रथम वादपत्र दिंनाक 07.05.1984 के साथ कब्जा का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया। कोई किश्त भरने का चालान प्रस्तुत नही किया गया। कोई पानी की पर्ची पेश नही की। कोई ग्राम ढाबा में रिहायश का व वोटर सूचि पेश नही की। जबकि विवादित भूमि सन् 1958 अर्थात सम्वत् 2015 में आंवटित हो चुकी थी। सम्वत् 2015 से स्वामित्व का कोई राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नही किया। सन् 1975 अर्थात सम्वत् 2032 से सारा (जमाबन्दी–गिरदावरी–[illegible] जमा करवाने का चालान आदि) समस्त राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम के [illegible] आ रहा है। मौके पर कब्जा काश्त को किसी प्रकार की दखलन्दाजी अथवा [illegible] नही की। इससे साफ जाहिर है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 2 [illegible] हक व हिस्सा इस भूमि में नही है। इस प्रकार मौन स्वीकृति दे[illegible] में कोई अनुतोष नही मिल सकता है। वे कोई अनुतोष पाने के हकदार भी नही है। अतः वादीगण का दावा खारिज योग्य है।

..........लगातार 8 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.12 19:46:09 IST
Reason: SelfAttested

सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

द्वितीय संशोधित वादपत्र दिनांक 4.12.1996 का भी प्रतिवादी नं0 2 ता 14 ने कोई जवाबदावा अथवा Counter claim प्रस्तुत नही किया। तृतीय संशोधित वादपत्र दिनांक 30.4.1997 का भी प्रतिवादी नं0 2 ता 14 ने कोई जवाबदावा अथवा Counter claim प्रस्तुत नही किया । प्रतिवादी नं0 8 ता 14 ने संशोधित वादपत्र दिनांक 30.4.1997 का जवाब दावा में एक प्रार्थना पत्र 19.06.1997 को प्रस्तुत किया। प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम ने उक्त प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर क्लेम पर आपत्ति दर्शित की। जिस पर काउन्टर क्लेम अदालत द्वारा दिनांक 19.061997 द्वारा अपठनीय घोषित किया गया। अदालत हाजा का उक्त आदेश माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी निगरानी संख्या 6/98 निर्णय दिनांक 28.05.2007 द्वारा यथावत् रखा गया। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी नं0 8 से 14 का काउन्टर क्लेम निरस्त कर दिया गया। प्रतिवादी नं0 8 से 14 स्व0 अनुराम के जायज वारिसान को चतुर्थ संशोधित वादपत्र में वादी नं0 2 से 8 दर्ज किया गया। स्वर्गीय अनुराम के जायज वारिसान के सर्वप्रथम वाद सन् 2007 में धारा 88–183–53 आरटीए के तहत प्रस्तुत किया। जबकि सन् 1984 के वाद पत्र में स्वर्गीय अनुराम के वारिस वादीगण 2 त 8 बतौर प्रतिवादी नं0 9 से 14 पर दर्ज थे। जिनको प्रथम वादपत्र 07.05.1984 संशोधित प्रथम वादपत्र दिनांक 04.12.1996 द्वितीय संशोधित वादपत्र दिनाक 30.4.1997 की पूर्णतया जानकारी थी। द्वितीय संशोधित वादपत्र में वादीगण रामलाल, मनफुल 13.03.1987 को जबरदस्ती कब्जा से बेदखल का अनुतोष स्वर्गीय चेतराम व स्वर्गीय अनुराम के 2/3 हिस्सा पर न्यायालय में उल्लिखित कर चुके है। जिसकी जानकारी वादीगण 2 ता 8 को पूर्णतयाः थी। किन्तु उसके बावजूद सन् 2007 में वादीगण 2 ता 8 को धारा 183 आरटीए के अनुतोष के साथ धारा 88 आरटीए का वाद प्रस्तुत किया जो अनुसूचि तृतीय में धारा 183 आरटीए की वर्णित निर्धारित अवधि व्यतीत होने के पश्चात् पेश किया गया। धारा 214 आरटीए एवं भारतीय मियाद अधिनियम 1963 के तहत तथा धारा 63 आरटीए के तहत वादी नं0 2 ता 8 के अधिकार समाप्त हो चुके है। अतः धारा 88–183 का वादी नं0 2 ता 8 का दावा मियाद बाहर होने के कारण खारिज योग्य है। चतुर्थ संशोधित वादपत्र का भी प्रतिवादी नं0 2 ता 7 ने कोई जवाब व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत नही किया है। अतः स्वर्गीय चेतराम के जायज वारिसान में छः वारिसान का वर्तमान में कोई भी वाद नही है। वादीगण रामलाल, मनफुल 1/3 में से स्वतः 1/8, 1/8 हिस्सा मांग रहे है। अतः दावा वादीगण खारिज योग्य है। प्रतिवादी नं0 1 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस शामिल मिसल हैं।

दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् पत्रावली एवं उसमें शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। बाद दस्तावेज अवलोकन तनकीयात का कमबद्व विवेचना की गई जो कि निम्न प्रकार से हैः–

<u>विवादक संख्या एकः– आया विवादित भूमि चक 22 एलजीडब्लयु प0नं0 42/291 की 3 बीघा, प0नं0 43/291 की 2 बीघा, प0नं0 43/292 की 4 बीघा, प0नं0 42/292 की 6 बीघा कुल 15 बीघा वादीगण के पूर्वज चेतराम, अनुराम पुत्रगण श्री रामरख एवं लिखमाराम पुत्र श्री चतरूराम कुमहार के नाम से सयुक्त खाता में बहिस्साबराबर सक्षम अधिकारी के द्वारा कीमतन पुख्ता आंवटन हुई थी?</u>

वादीगण पर इस विवादक संख्या प्रथम को साबित करने का भार था। वादीगण ने इस विवादक की पुष्टि में प्रथम वादपत्र दिनांक 07.05.1984 के द्वितीय संशोधित वादपत्र दिनांक 04.12.1996 के तृतीय चरण में, संशोधित वादपत्र दिनांक 30.4.1997 के द्वितीय चरण में, संशोधित वादपत्र सन् 2015 के तृतीय चरण में विवादित भूमि को संयुक्त रूप से बहिस्साबराबर कीमतन [illegible] का उललेख किया है। इस कथन की पुष्टि में सम्वत् 2026 से 2029 की [illegible] Exp-1 है। इसके अतिरिक्त वादीगण ने कोई दस्तोयजी साक्ष्य [illegible] में प्रस्तुत नही किया है। विवादित भूमि सन् 1958 में पुख्ता [illegible] सर्वप्रथम आंवटन हुआ था। सम्वत् 2015 से 2025 तक का पुख्ता आवटन का प्रमाण एव राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज का कोई दस्तोवजी साक्ष्य (जमाबन्दी–गिरदावरी) ढालबाछ किश्त की रकम के चालान आदि) कोई प्रमाण वादीगण ने प्रस्तुत नही किया है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र आंवटन आदेश में नाम का उल्लेख के आधार पर आंवटन नही माना जा सकता।

..........लगातार 9 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.12 19:46:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वादीगण केवल मात्र सम्वत् 2026 से 2029 की जमाबन्दी के आधार पर वादीगण के पूर्वज चेतराम व अनुराम पुत्रगण रामरख को विवादित भूमि में 2/3 हिस्सा का संयुक्त पुख्ता का आंवटी कानूनन नही माना जा सकता है।

वादीगण ने अपने मौखिक ब्यानों में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि विवादित भूमि दिनाक 08.12.1958 को कीमतन पुख्ता आवटन की गई थी। आंवटन आदेश की नकल Exp-6 अपने कथन की पुष्टि में पेश की है। तत्पश्चात् 15.11.1978 को खातेदारी सनद विवादित भूमि की संयक्त रूप से जारी करने का उल्लेख किया है। खातेदारी सनद की नकल Exp-8 संलग्न है। किन्तु वादीगण ने सन् 1958 से वाद प्रस्तुत करने के दिनांक 07.05.84 तक की जमाबन्दी गिरदावरी व रकम जमा करवाने का कोई चालाना प्रस्तुत नही किया है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र पुख्ता आंवटन आदेश एवं खातेदारी सनद के इन्द्राज के आधार पर वादीगण के पूर्वज चेतराम व अनुराम पुत्रगण रामरख को विवादित भूमि में 2/3 हिस्सा का संयुक्त पुख्ता आवटी कानूनन नही माना जा सकता है। अतः इस विवादक प्रथम को साबित करने में वादीगण असमर्थ रहे है। अतः विवादक संख्या प्रथम का निर्णय वादीगण के विरूद्ध किया जाता हैं।

प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम की ओर से इस विवादक संख्या प्रथम का वादीगण के विरूद्ध निर्णय किये जाने हेतु निर्णय **आरआरडी 1999 पेज नं0 186** की चित्रप्रति प्रस्तुत है। उक्त निर्णय में 40 वर्ष बाद केवल मात्र इन्द्राज के आधार पर प्रस्तुत वाद खारिज किया गया। जो निर्णय राजस्व मण्डल अजमेर तक यथावत् कायम रखा है। विचाराधीन वाद भी सन् 1958 के पश्चात् सन् 1984 में 26 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किया गया है। जो स्पश्ट रूप से मियाद बाहर मानकर खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा इस बिवादक को पुष्ट करने हेतु प्रस्तुत **आरआरडी 2008 पेज 350** पर इस प्रकरण से सम्बधित कोई निर्णय नही है। **आरआरडी 2014 पेज 302** पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज काश्तकार से सम्बधित निर्णय है। चूकि वादीगण के पूर्वज राजस्व रिकार्ड में दर्ज काश्तकार नही है। अतः यह निर्णय इस प्रकरण पर लागू नही होता है।

<u>विवादक संख्या दो :-आया विवादित भूमि कीमतन पुख्ता आंवटन के पश्चात् वादीगण के पूर्वजों को संयुक्त रूप से विवादित भूमि का कब्जा दिया गया और मृत्युपर्यन्त संयुक्त रूप से काश्त करते रहे है?</u>

उक्त विवादक को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने सन् 1958 से दावा दायर करने के दिंन 7.5.84 तक का कब्जा काश्त का कोई राजस्व रिकार्ड (गिरदावरी पानी की पर्ची रकम जमा करवाने का चालान आदि) प्रस्तुत नही किया है। इससे पूर्णतया साबित है कि वादीगण के पूर्वजों को विवादित भूमि का कब्जा कभी नही दिया गया। आंवटन पश्चात् विवादित भूमि पर वादीगण के पूर्वजों ने कभी काश्त नही की। कोई रकम जमा करवाई। वादीगण स्वयं प्रथम वादपत्र दिंनाक 7.5.84 द्वितीय संशोधित वादपत्र दिनाक 4.12.96 तृतीय संशोधित वादपत्र दिंनाक 30.4.97 चतुर्थ संशोधित वादपत्र सन् 2015 में दिंनाक 15.12.1980 के राजीनामा के आधार पर विवादित भूमि पर कब्जा दर्शित कर रहे है। उक्त राजीनामा वादीगण के पूर्वज अनुराम व चेतराम की मृत्यु दिंनाक 29.3.1980 के बाद होना दर्शित किया है साफ जाहिर है कि केवल मात्र पूर्वजों का पट्टे में नाम दर्ज होने के आधार पर झूठा राजीनामा दिनांक 15.12.1980 का अंकित कर विवादित भूमि पर कब्जा बताया जा रहा है। स्वर्गीय अनुराम व [illegible] राम ने विवादित भूमि का संयुक्त रूप से आंवटन के पश्चात् कब्जा सन् 1958 [illegible] जी साक्ष्य वादीगण ने प्रस्तुत नही किया है। जबकि प्रतिवादी लिखमाराम का कब्जा सन् 195[illegible] लगातार चला आ रहा है। सन् 1975 से तो राजस्व रिकार्ड में अकेला प्रतिवादी न[illegible] भूमि पर काबिज माना जा रहा है एवं रकम का चालान नहरी गिरदावरी पानी की पर्ची आदि सभी दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवादी नं0 1 द्वारा कथन की पुष्टि में पेश किये गये है। विवादक संख्या दो को पूर्णतयाः साबित करने में वादीगण स्पष्ट रूप असमर्थ रहे है। अतः विवादक दो का निर्णय खिलाफ वादीगण किया जाता हैं।

..........लगातार 10 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.12 19:46:09 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण द्वारा विवादक संख्या दो की पुश्टि में प्रस्तुत आरआरडी 2001 पेज 86, आरआरडी 1993 पेज 45, आरआरडी 1994 पेज 204, आरबीजे 2016 पेज 390 पेश की। जो इस प्रकरण पर लागू नही होती है।

विवादक संख्या तीन :– आया वादीगण के पूर्वजों ने विवादित भूमि कीमतन पुख्ता आंवटन के पश्चात् किश्तो की राशि संयुक्त रूप से खजाना राज में जमा करवाई थी?

विवादक संख्या तीन को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण अपने वादपत्रो एवं मौखिक ब्यानो में स्वीकार किया हैं कि समस्त किश्तो के चालान प्रतिवादी नं0 1 के नाम जारी चालान है। वादीगण के पूर्वजो के नाम अथवा वादीगण स्वयं के नाम कोई किश्त जमा करवाने का चालान प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसी स्थिति में विवादक संख्या तीन को साबित करने में वादीगण असफल रहे है। अतः विवादक सं0 तीन का निर्णय वादीगण के खिलाफ किया जाता हैं।

विवादक सं0 चारः– आया वादीगण के पूर्वजो को विवादित भमि से प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम ने बलपूर्वक नाजायज तरीके से बेदखल कर समस्त भूमि पर कब्जा कर लिया है एवं भू प्रबन्धक विभाग से मिलकर सारी भूमि स्वयं के नाम दर्ज करवाली?

इस विवादक को साबित करने का भार वादीगण का था। वादीगण ने वादपत्र के चतुर्थ चरण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि सन् 1975 में प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम ने समस्त भूमि भूप्रबन्धक विभाग के कर्मचारीगण से मिलकर अपने नाम दर्ज करवाली। वादीगण ने वादपत्र के इसी चरण में यह तथ्य भी स्वीकार किया कि सन् 1975 में वादीगण के पूर्वज अनुराम व चेतराम जीवित थे। ऐसी स्थिति में वादीगण के पूर्वजों ने कोई कानूनी कार्यवाही प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम के खिलाफ किसी भी न्यायालय में नही की। विवादित भूमि पर वादीगण के पूर्वजों का सन् 1958 से लेकर अशंमात्र भी कब्जा नही रहा। इसलिये वादीगण के पूर्वजों ने मृत्युपर्यन्त प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम के खिलाफ कोई कार्यवाही कही भी नही की थी। वादपत्र में 13.3.87 को बेदखल होने का तथ्य दर्ज किया है तब भी वादीगण ने राजस्व न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष कोई कानूनी कार्यवाही नही की। इससे साफ जाहिर है कि भूप्रबन्धक विभाग के सर्वे के समय सन् 1975 में विवादित भूमि पर अकेले प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम का कब्जा व किश्त जमा करवाने का चालान तथा पानी की पर्ची का अवलोकन कर समस्त विवादित भूमि अकेले प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गई। जो कार्यवाही कानूनन सही है। धारा 111 एलआरए के Proviso (2) के तहत भू प्रबन्धक अधिकारी द्वारा सर्वे के समय काबिज काश्तकार के नाम धारा 113 एलआरए के तहत राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम को समस्त भूमि का काश्तकार दर्ज करने की कार्यवाही कानून सम्मत है। कथन की पुष्टि में आरआरडी 1966 पेज 109, आरआरडी 1967 पेज 36 प्रस्तुत है। अतः विवादक संख्या चार का निर्णय वादीगण के खिलाफ किया जाता हैं।

विवादक संख्या पांचः– आया वादीगण के पूर्वजों ने मृत्युपर्यन्त सन् 1975 में भूप्रबन्ध विभाग से समस्त भूमि प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम द्वारा अपने नाम दर्ज करवाने के पश्चात् कोई कानूनी चाराजोही की ?

इस विवादक को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने वादपत्र एवं लिखित बहस में इस तथ्य को स्वीकार किया कि वादीगण के पूर्वजों मृत्युपर्यन्त दिनांक 29.03.1980 तक भूप्रबन्ध विभाग के इन्द्राज के दुरुस्त करने की कोई कार्यवाही नही की। वादी नं0 1 रामलाल वादी नं0 2 मनफुल पुत्रगण श्री चेतराम ने सर्वप्रथम दिनांक 7.5.1984 को [illegible] हिस्सा की बाबत पेश किया। स्वर्गीय चेतराम के अन्य जायज वारिसों ने आज तक कोई दावा अथवा [illegible] क्लेम प्रस्तुत नही किया। स्वर्गीय अनुराम के जायज वारिसों ने सन् 20[illegible] काउन्टर क्लेम आदि पेश नही किया। सन् 2015 में आकर वाद प्रस्तुत किया। जबकि सन् 1984 के वाद में स्वर्गीय अनुराम के जायज वारिस पक्षकार थे। विवादित भूमि में हिस्से व कब्जे के सम्बन्ध में जानकारी हो चुकी थी। सन् 1984 के वादपत्र में दिनाक 2.1.1985 को स्वर्गीय अनुराम के सभी जायज वारिसों ने एवं स्वर्गीय चेतराम के छः जायज वारिस प्रतिवादी नं0 2 से 7 ने अपना जवाबदावा का अवसर स्वेच्छा से बन्द करवा दिया।

..........लगातार 11 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.12 19:46:09 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार वादीगण के पूर्वजों ने एवं वारिसान ने आज तक सन् 1975 में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये इन्द्राज के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही किसी भी न्यायालय में नही की। अतः विवादक संख्या पांच को वादीगण साबित करने में असफल रहे है। अतः विवादक संख्या पांच का निर्णय वादीगण के खिलाफ किया जाता हैं।

विवादक संख्या छः:– आया वादीगण स्वर्गीय अनुराम व स्वर्गीय चेतराम के जायज वारिस होने के कारण विवादित भूमि में 2/3 हिस्सा भूमि पाने के हकदार है एवं प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम को बेदखल कर कब्जा पाने के हकदार है ?

इस विवादक को साबित करने का भार वादीगण पर है। सर्वप्रथम स्वर्गीय चेतराम के जायज वारिस प्रतिवादी नं0 2 ता 7 ने कोई वाद अथवा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत नही किया हैं। प्रतिवादी नं0 2 ता 17 को कोई घोषणात्मक एवं बेदखल कर कब्जा पाने के अनुतोष हेतु कोई कानूनी कार्यवाही नही की है। अतः स्वर्गीय चेतराम के सम्भावित हिस्सा 1/3 हिस्सा में से छः हिस्सेदार कोई अनुतोष पाने के हकदार नही है। स्वर्गीय चेतराम के दो जायज वारिसों ने वादपत्र में 1/3 में से 1/8, 1/8 हिस्सा का वाद प्रस्तुत किया है। जो सन् 1958 से सन् 1984 तक 26 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है ।

स्वर्गीय अनुराम के जायज वारिस प्रतिवादी नं0 8 से 14 सन् 1984–1994–1996 के संशोधित वादपत्रो में बतौर प्रतिवादी 8 से 14 तक पक्षकार दर्ज है। किन्तु स्वर्गीय अनुराम के जायज वारिसों ने सन् 1958 से लेकर 1996 तक कोई हिस्सा पाने की कानूनी कार्यवाही नही की। सन् 2015 में आकर एक वाद प्रस्तुत किया है। जो सन् 1958 से 57 वर्ष बाद दावा दायर किया है ।

स्वर्गीय चेतराम एवं स्वर्गीय अनुराम दोनों के वारिसान के वादपत्र धारा 214 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 65 एवं धारा 113 के तहत मियाद बाहर हो चुके है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के Proviso (iv) एवं भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 27 के तहत वादीगण के विवादित भूमि में हिस्सा घोषित करवाने के अधिकार समाप्त हो चुके है। साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के तहत विवादित भूमि से प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम को बेदखल कर कब्जा पाने के अधिकार भी समाप्त हो चुके है। अतः विवादक संख्या छः के तहत वादीगण किसी भी न्यायालय में किसी भी कानून के तहत कोई हिस्सा घोषित करवाने का अधिकार एवं प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम को बेदखल कर कब्जा पाने का अधिकार खो चुके है। अतः विवादक संख्या छः का निर्णय वादीगण के खिलाफ किया जाता हैं।

विवादक संख्या सातः–आया विवादित पुख्ता आंवटित भूमि का कब्जा अकेले प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम को सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया । अकेला प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम समस्त किश्त राशि खजाना राज में जमा करवाई ?

इस विवादक को साबित करने का भार प्रतिवादी नं0 1 पर था। प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम व उसके पुत्र ओमप्रकाश ने जबाबदावा में स्पश्ट उल्लेख किया कि सन् 1958 में उक्त भूमि कीमतन पुख्ता आवटन की गई। सन् 1958 में अकेले प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम को उक्त भूमि का कब्जा दिया गया। उक्त भूमि पर अकेला प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम 1958 से काबिज [illegible] काश्त करता आ रहा है। विवादित भूमि की किश्त की रकम भी अकेले प्रतिवादी [illegible] में जमा करवाई है। कथन की पुष्टि में नहरी गिरदावरी पानी की पर्ची [illegible] राजस्व रिकार्ड की प्रतिलिपियां प्रस्तुत की है। जिससे विवादित भूमि [illegible] जमा कराने का तथ्य प्रमाणित होता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत केवल मात्र आंवटन का पट्टा एवं खातेदारी सनद से यह कतई प्रमाणित नही होता कि सन् 1958 में कब्जा वादीगण के पूर्वजों को मिला था एवं खातेदारी सनद से किश्त जमा करवाने का तथ्य साबित नही होता है।

..........लगातार 12 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.12 19:46:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम विवादक संख्या सात को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से पूर्णतयाः साबित किया है। अतः विवादक संख्या सात का निर्णय बहक प्रतिवादी नं0 1 किया जाता हैं।

विवादक संख्या आठ :–आया विवादित भूमि पर अकेले प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम का कब्जा सन् 1975 में भूप्रबन्ध विभाग द्वारा सर्वे में देखकर अकेले किश्त की राशि जमा रसीदे देखकर उक्त भूमि की जमाबन्दी प्रतिवादी नं0 1 के नाम बनाई जिसे वादीगण के पूर्वजों ने अपने जीवनकाल में किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी?

इस विवादक को साबित करने का भार प्रतिवादी नं0 1 पर था । इस विवादक का निर्णय विवादक संख्या चार व पांच के निर्णय पर आधारित है। विवादक संख्या चार व पाच चूकिं वादीगण के खिलाफ निर्णित की चुकी हैं। अतः तो विवादक संख्या आठ का निर्णय बहक प्रतिवादी नं0 1 किया जाता हैं।

विवादक संख्या नौः–आया विवादित भूमि पर पुख्ता आंवटन से लेकर आज तक प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम का सतत शान्ति पूर्वक कब्जा चला आ रहा है। वादीगण व उनके पूर्वजों को कभी भी उक्त भूमि पर अंशमात्र भी कब्जा नही रहा । अतः पुख्ता आंवटन से लेकर कब्जा नही होने के कारण वादीगण कोई घोषणात्मक एवं बेदखली की डिक्री पाने के हकदार नही हैं?

इस विवादक को साबित करने का भार प्रतिवादी नं0 1 पर है। प्रतिवादी नं0 1 के पक्ष में विवादक संख्या दो, चार, पाच, छः में पूर्णतयाः इस विवादक पर विवेचना की जा चुकी है। विवादक संख्या नौ का निर्णय बहक प्रतिवादी नं0 1 किया जाता हैं।

विवादक संख्या दसः– आया वादीगण का वाद कब्जा न होने के कारण एवं मियाद बाहर होने के कारण चलने योग्य नही है?

इस विवादक को साबित करने का भार प्रतिवादी नं0 1 पर है। प्रतिवादी नं0 1 ने विवादक संख्या छः में वादीगण का वाद पत्र कब्जा न होने के कारण एवं मियाद बाहर होने के कारण चलने योग्य नही है। इस तथ्य की पूर्णतयाः कानून के प्रावधानों का उललेख करते हुये विवेचना की है। साथ ही सन् 1984 के वादीगण 1 व 2 के वाद पत्र के तथा सन् 2015 में वादी नं0 3 से 8 तक द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को कब्जा न होने के कारण एवं मियाद बाहर होने के कारण चलने योग्य नही है के तथ्य को साबित किया है। विवादक संख्या छः का निर्णय पर इस विवादक का निर्णय आधारित है। विवादक संख्या छः का निर्णय विरूद्ध वादीगण अनुसार वादपत्र स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः विवादक संख्या दस का निर्णय बहक प्रतिवादी नं0 1 किया जाता हैं।

विवादक संख्या ग्यारहः–आया वादीगण 3 से 8 तक एवं प्रतिवादीगण 2 से 7 तक सभी स्वेच्छा से अपने भूमि मापक के माध्यम से दिनांक 2.1.1985 को अपना हक व हिस्सा क्लेम छोड चुके है। अतः अब संशोधित वादपत्र के माध्यम से कोई घोशणात्मक एवं बेदखली की डिक्री पाने के हकदार नही है ?

इस विवादक संख्या ग्यारह को साबित करने का भार प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम पर है। संशोधित वाद सन् 2015 के जबाबदावा में प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि विवादित भूमि पर अकेले प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम का सन् 1958 से लगातार कब्जा चला आ रहा है। अकेले प्रतिवादी नं0 1 ने किश्ते की रकम जमा करवाई है। इन सब कागजों को देखकर भूप्रबन्ध विभाग द्वारा समस्त भूमि अकेले प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम के नाम धारा 111 [illegible] के तहत सर्वे करने पश्चात् धारा 113 के तहत राजस्व रिकार्ड में दर्ज की। जिसे वादीगण के [illegible] भी चुनौती नही दी। वादीगण 1 व 2 ने चुनौती दी। किन्तु राजस्व मण्डल अजमेर [illegible] निर्णय दिनांक 17.6.94 को वादीगण की आपत्तियां खारिज कर दी गई। सन [illegible] लिखमाराम का माना। इस प्रकार भू मापक के राजस्व रिकार्ड में किये [illegible] अजमेर द्वारा सही माना गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.12 19:46:09 IST
Reason: SelfAttested

..........लगातार 13 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वादीगण 1 व 2 ने दिंनाक 7.5.84 को इस इन्द्राज को वाद के माध्यम से चुनौती दी। जिसमें स्वर्गीय अनुराम के सभी वारिस पक्षकार थे। स्वर्गीय चेतराम के वारिस वादीगण 1 व 2 के अलावा छः अन्य वारिस पक्षकार थे। इन सबने दिंनाक 2.1.1985 को स्वेच्छा से अपना जवाबदावा बन्द करवा लिया। उक्त आदेश आज तक पत्रावली पर कायम है। स्वर्गीय अनुराम के जायज वारिस वादीगण 3 ता 8 ने सन् 2015 में वादपत्र पेश किया। उक्त वादपत्र में भी वादीगण 3 व 8 ने वादपत्र के सातवें चरण में स्वीकार किया है कि हमारे पूर्वज अनुराम का सन् 1980 में देहान्त हो गया। सन् 1987 में हमें बेदखल कर प्रतिवादी नं0 1 ने कब्जा कर लिया। किन्तु सन् 1980 से 2015 तक वादीगण 3 ता 8 ने कोई कानूनी चाराजोही प्रतिवादी नं0 1 के खिलाफ किसी भी न्यायालय में नही की। सवर्गीय चेतराम व स्वर्गीय अनुराम ने अपने जीवनकाल में सन् 1980 तक कोई कार्यवाही नही की। स्वर्गीय चेतराम के अन्य छ वारिस प्रतिवादी नं0 2 ता 7 ने आज तक कोई कानूनी कार्यवाही नही की। इससे साफ जाहिर है कि स्वर्गीय चेतराम के छः जायज वारिस प्रतिवादी नं0 2 ता 7 स्वर्गीय अनुराम के जायज वारिस प्रतिवादी नं0 8 ता 14 (जो अब तक वाद में 3 ता 8 पर दर्ज है) स्वेच्छा से प्रतिवादी नं0 1 लिखमाराम के खिलाफ विवादित भूमि पर कब्जा न होने के कारण अपना हक व हिस्सा दिंनाक 2.1.1985 को छोड चुके है। अतः अब संशोधित वाद पत्र मियाद बाहर होने के कारण एवं दिंनाक 2.1.1985 के आदेश के कारण कोई घोषणात्मक व बेदखली की डिक्री पाने के हकदार नही है। अतः विवादक संख्या ग्यारह का निर्णय बहक प्रतिवादी नं0 1 किया जाता हैं।

अनुतोष :– वादीगण विवादक संख्या एक से लेकर छः तक को साबित करने में असफल रहे है। अतः वादीगण कोई अनुतोंष पाने के हकदार नही है वादीगण का वादपत्र खारिज किया हम उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार वादीगण का वादपत्र निराधार, कब्जा विहीन एवं मियाद बाहर होने के कारण निरस्त फरमाया जाता हैं। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली से नम्बर कम होकर दाखिल दफतर फरमाई जावें।

निर्णय सरे इजलाश सुनाया गया।

(भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस)
सहायक जिलाधीश एवं
उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2026.03.12 19:46:09 IST
Reason: SelfAttested

(आ.21 रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

-:परचा डिक्री:-

न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.

प्रकरण सं0 :-128/2020

प्रस्तुति दिनांक:-02.09.2020

1. रामलाल पुत्र चेतराम जाति कुम्हार निवासी श्री गंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज0।
2. मनफूल पुत्र चेतराम जाति कुम्हार निवासी श्री गंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज0।
3. गंगाराम पुत्र अनूराम जाति कुम्हार निवासी चक 3 डब्लयु फरीदसर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर राज0।
4. भागीरथ पुत्र अनूराम जाति कुम्हार निवासी चक 3 डब्लयु फरीदसर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर राज0।
5. गोपीराम पुत्र अनूराम जाति कुम्हार निवासी चक 22 एलजीडब्लयु तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।
6. देवीलाल पुत्र अनूराम जाति कुम्हार निवासी चक 3 डब्लयु फरीदसर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर राज0।
7. जयचन्द पुत्र अनूराम जाति कुम्हार निवासी चक 3 डब्लयु फरीदसर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर राज0।
8. इन्द्रा पुत्री अनुराम पत्नी गोपीराम जाति कुम्हार निवासी लाभूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज0।

............वादीगण

बनाम

1. लिखमाराम (फौत) पुत्र चतरूराम

   1/1 ओमप्रकाश पुत्र लिखमाराम जाति कुम्हार निवासी चक 22 एलजीडब्लयु तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।

   1/2 डूंगरराम पुत्र लिखमाराम जाति कुम्हार निवासी नजदीक बी.एस.एन.एल. टॉवर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।

   1/3 पूर्णराम पुत्र लिखमाराम जाति कुम्हार निवासी गली नं0 02 पूजा कॉलोनी श्रीगंगानगर राज0।

   1/4 देवीलाल पुत्र लिखमाराम जाति कुम्हार निवासी घोटेवाला मंदिर के पास नेहरा नगर श्रीगंगानगर राज0।

   1/5 सुन्दर देवी पुत्री लिखमाराम पत्नी संतराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं0 06 चक 23 एमएल पो. ओ.9 एमएल लढावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज0।
2. अर्जनराम पुत्र चेतराम जाति कुम्हार निवासी श्रीगंगानगर राज0।
3. सरदाराराम पुत्र चेतराम जाति कुम्हार निवासी श्रीगंगानगर राज0।
4. रामचन्द (फौत) पुत्र चेतराम

   4/1 धापा देवी पत्नी रामचन्द जाति कुम्हार निवासी चक 2 एमएलडीए पुरानी मंडी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर राज0।

   4/2 रमेश कुमार पुत्र रामचन्द जाति कुम्हार निवासी चक 2 एमएलडीए पुरानी मंडी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर राज0।

   4/3 ममता पुत्री रामचन्द जाति कुम्हार निवासी [illegible] एमबी रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर राज0।

   4/4 उर्मिला पुत्री रामचन्द पत्नी [illegible] 9 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज0।

   4/5 कैलाश पुत्री रामचन्द पत्नी रामस्वरूप जाति कुम्हार निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।

..........लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.12 19:46:09 IST
Reason: SelfAttested

4/6 कृष्णा पुत्री रामचन्द पत्नी रामनारायण जाति कुम्हार निवासी रामपुरा न्योला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0।

5. मु0 रामप्यारी पुत्री चेतराम पत्नी काशीराम जाति कुम्हार निवासी श्रीगंगानगर राज0।

6. गोरा (फौत) पुत्री चेतराम पत्नी ठाकरराम

6/1 लिछमा पुत्री सुरजीत पुत्री गोरा जाति कुम्हार निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर राज0।

6/2 कालूराम पुत्र गोरा जाति कुम्हार निवासी चक 6 केएसटी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0।

6/3 किशन पुत्र गोरा जाति कुम्हार निवासी चक 6 केएसटी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0।

6/4 राधा पुत्री गोरा जाति कुम्हार निवासी पालीवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0।

7. मु0 तुलछी पुत्री चेतराम पत्नी हीरालाल जाति कुम्हार निवासी घड़साना तहसील घड़साना।

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़। ....प्रतिवादीगण

उपस्थितिः–

6. श्री सर्वजीत छाबड़ा, अभिभाषक वादीगण
7. श्री राकेश सारस्वत, अभिभाषक प्रति0 नं0 1/1 से 1/5
8. श्री रामस्वरूप बारूपाल, अभिभाषक प्रति0 नं0 4/1 से 4/6
9. श्री भगवानदत्त शर्मा, अभिभाषक प्रति0 नं0 3, 5, 6
10. श्रीमान तहसीलदार सूरतगढ़ स्वयं उपस्थित।

वादपत्र धारा 88–53–183 आरटीए मुकदमा नं0 128 वर्ष 2020 यह मुकदमा में पेश होने पर वास्ते इनफिलास कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री सर्वजीत छाबड़ा व वकील प्रतिवादीगण श्री राकेश सारस्वत, श्री रामस्वरूप बारूपाल व श्री भगवानदत्त शर्मा के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता हैं व डिक्री जारी की जाती हैं किः–

दावा वादीगण निराधार, कब्जा विहीन एवं मियाद बाहर होने के कारण निरस्त फरमाया जाता हैं। नोज.........X............ मुबलिग.........X...........बाबत.........X............ खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह..X.. ......फस्दो की पालना ....X............आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 11/03/2026 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)
सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.12 19:46:09 IST
Reason: SelfAttested